

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 129]

नवा रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 मार्च 2026 — फाल्गुन 25, शक 1947

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च, 2026

अधिसूचना

क्रमांक 5375/चेकर तीन-10-8/2000(IX) .— छत्तीसगढ़ सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958 (क्रमांक 19 सन् 1958), की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर एतद् द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक 19494/चेकर/तीन-10-8/2000 (IX), बिलासपुर दिनांक 06-10-2025 में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के सरल क्रमांक 18 के स्तंभ क्रमांक 3 एवं 4 में वर्णित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां संस्थापित की जाती हैं, अर्थात् :-

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	जिला न्यायाधीश के न्यायालय	
		बैठने का स्थान	न्यायालयों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	रायगढ़	1. रायगढ़ 2. सारंगढ़ 3. घरघोड़ा 4. खरसिया	8 1 1 1

Bilaspur, the 16th March 2026

No. 5375/Checker III-10-8/2000(IX) .— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 12 of the Chhattisgarh Civil Courts Act, 1958 (Act No. 19 of 1958), the High Court of Chhattisgarh, Bilaspur hereby makes the following amendment in its Notification No. 19494/Checker/III-10-8/2000(IX), Bilaspur, dated 06-10-2025, namely:-

AMENDMENT

In the said notification, of the table for the serial no. 18 and further existing entries relating thereto as shown in column no. (3) and (4) the following entries are substituted namely :-

TABLE

S.No.	Name of Civil District	Court of District Judges	
		Place of sitting	No. of Courts
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Raigarh	1. Raigarh 2. Sarangarh 3. Gharghora 4. Kharsiya	8 1 1 1

By order of the High Court

Sd/-

(Rajnish Shrivastava)

Registrar General.